न्यायालय विशेष न्यायाधीश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम/ अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नम्बर–६, फतेहपुर।

सेशन केस नम्बर ४०२ सन २०२०

राज्य प्रति कुलदीप उर्फ बिल्ला आदि

आरोप

मैं, रविकरण सिंह, विशेष न्यायाधीश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नम्बर–६, फतेहपुर आप अभियुक्तगण

१. कुलदीप उर्फ बिल्ला

२. अंकित उर्फ शेरा

को निम्न आरोप से आरोपित करता हूँ–

1– यह कि आप अभियुक्तगण का एक संगठित गिरोह है, जिसके लीडर आप अभियुक्त कुलदीप उर्फ बल्ला है तथा आप अंकित उर्फ शेरा गैंग के सदस्य है। आप लोग गैंग बनाकर लूट, हत्या, डकैती, चोरी, नकबजनी अपराध कारित कर आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए भारतीय दण्ड विधान के अध्याय १६, १७ के अधीन दण्डनीय अपराध कारित करते है, जिससे आम जनता में काफी भय व आतंक फैला व्याप्त है। इनके डर व आतंक के कारण आम जनता का कोई व्यक्ति इनके विरूद्ध थाने में सूचना देने व गवाही देने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। आप लोगों के द्वारा कारित किए गए समाज विरोधी क्रिया कलाप मे संलिप्तता का विवरण गैंग चार्ट के अनुसार निम्न लिखित है–

१. कुलदीप उर्फ बिल्ला

१. मुकदमा अपराध संख्या ९ सन २०१३, धारा–४६० भा०दं०सं० थाना औंग, जिला फतेहपुर।
२. मुकदमा अपराध संख्या–४२/१६, धारा–३३२/३३३/३५३/३०७ भा०दं०सं० थाना बर्रा, जनपद कानपुर नगर।
३. मुकदमा अपराध संख्या–४३/१६, धारा–३७९/४११ भा०दं०सं० थाना बर्रा, जनपद कानपुर नगर।
४. मुकदमा अपराध संख्या–४४/१६, धारा–३७९/४११ भा०दं०सं०
५. मुकदमा अपराध संख्या–४८/१६, धारा–३/२५ आयुध अधिनियम थाना बर्रा, जनपद कानपुर नगर।

२. अंकित उर्फ शेरा

१. मुकदमा अपराध संख्या ९ सन २०१३, धारा–४६० भा०दं०सं० थाना औंग, जिला फतेहपुर।
२. मुकदमा अपराध संख्या–४२/१६, धारा–३३२/३३३/३५३/३०७ भा०दं०सं० थाना बर्रा, जनपद कानपुर नगर।
३. मुकदमा अपराध संख्या–४३/१६, धारा–३७९/४११ भा०दं०सं० थाना बर्रा, जनपद कानपुर नगर।
४. मुकदमा अपराध संख्या–४४/१६, धारा–३७९/४११ भा०दं०सं०
५. मुकदमा अपराध संख्या–४५/१६, धारा–४/२५ आयुध अधिनियम

इस प्रकार आप द्वारा कारित उपरोक्त कृत्य उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम की धारा ३ के अन्तर्गत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

मैं एतदद्वारा निर्देश देता हूं कि उपरोक्त आरोप में आप अभियुक्तगण का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः ०३.१०.२०२० **(रविकरण सिंह)**

विशेष न्यायाधीश, उ० प्र० गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम/ अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०–६,फतेहपुर।

उक्त आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिससे उन्होने इंकार किया तथा परीक्षण चाहा।

दिनांकः ०३.१०.२०२० **(रविकरण सिंह)**

विशेष न्यायाधीश, उ० प्र० गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम/ अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०–६,फतेहपुर।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम/ अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नम्बर–६, फतेहपुर।

सेशन केस नम्बर ४०२ सन २०२०

राज्य प्रति कुलदीप उर्फ बिल्ला आदि

आदेश

०३.१०.२०२०

पुकार कराई गई ।

अभियुक्तगण कुलदीप उर्फ बिल्ला एवं अंकित उर्फ शेरा मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं।

राज्य की ओर से विद्वान अभियोजन अधिकारी भी उपस्थित हैं ।

आरोप के बिन्दु पर राज्य की ओर से विद्वान अभियोजन अधिकारी तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनने एवं पत्रावली का परिशीलन करने के उपरान्त मै इस मत का हूँ कि अभियुक्तगण कुलदीप उर्फ बिल्ला एवं अंकित उर्फ शेरा के द्वारा प्रथम दृष्टया धारा ३ उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम का अपराध कारित किया जाना प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा ३ उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम के तहत आरोप सृजित किये जाने का पर्याप्त आधार मौजूद है।

तद्नुसार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध धारा ३ उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम का आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने घटना तथा आरोपों को इंकार किया और विचारण किए जाने की याचना की।

पत्रावली दिनांक ..... को वास्ते साक्ष्य पेश हो। अभियोजन साक्षीगण को तलब किया जावे ।

दिनांकः ०३.१०.२०२०

(रविकरण सिंह)

विशेष न्यायाधीश, उ० प्र० गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम/ अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०–६,फतेहपुर।